

समाहर्ता का कार्यालय, चतरा

सं० 1195 / रा०

दिनांक 22/12/16

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स०भू० लातेहार-1/2010 1817/रा० राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि भूमि जो जिला-चतरा, अंचल-चतरा, के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।

अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	भूमि का किस्म	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
चतरा	डाढा	157	99	706	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी	1.30
				707	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी	8.68
					कुल	9.98

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, हजारीबाग को ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि -

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

22/12/16
उपायुक्त
चतरा।

Tori-Shivpur Noc

22/12/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribag